**न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 142 / 2023

सरकार बनाम श्रीचन्द पुत्र खुबाराम, जाति जाट नि. महपालवास

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक : 24.07.2023

**निर्णय**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल श्रीचन्द पुत्र खुबाराम, जाति जाट नि. महपालवास द्वारा रोही मौजा महपालवास की भूमि ख.नं. 510 के कुल रकबा 7.99 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है0 भूमि पर मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र प्रमोद कुमार ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अपने पिताजी के बीमार होने के कारण जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर देने उपरान्त गैर सायल अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लै० स० 4 के क्रम सं. 08 पर वर्ष 23-24 में रुपये 08/- कायम किए

राजस्व लेखाकार